



बिहार लोक सेवाओं का अधिकार



तत्काल सेवा के लिए सूचना पट्ट

प्रखण्ड -सह- अंचल कार्यालय, विजयीपुर

अधिसूचित सेवा	तत्काल आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार का पदनाम और पता	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार का पदनाम और पता	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
'तत्काल सेवा' के अधीन जाति प्रमाणपत्र निर्गत करना	1. विहित रूप से भरे हुए आवेदन पत्र। 2. स्व. घोषणा 3. समूह क एवं ख से कोई एक साक्ष्य 4. अगर समूह क एवं ख का कोई साक्ष्य नहीं रहने पर हल्का या पंचायत सेवक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की जाँच प्रतिवेदन।	02 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ	15 कार्यदिवस	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	15 कार्यदिवस
'तत्काल सेवा' के अधीन आय प्रमाणपत्र निर्गत करना	1. विहित रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 2. स्व. घोषणा 3. समूह क एवं ख से कोई एक साक्ष्य 4. अगर समूह क एवं ख का कोई साक्ष्य नहीं रहने पर हल्का या पंचायत सेवक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की जाँच प्रतिवेदन।	02 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ	15 कार्यदिवस	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	15 कार्यदिवस
'तत्काल सेवा' के अधीन आवासीय प्रमाणपत्र निर्गत करना	1. विहित रूप से भरे हुए आवेदन पत्र। 2. स्व. घोषणा 3. समूह क एवं ख से कोई एक साक्ष्य 4. अगर समूह क एवं ख का कोई साक्ष्य नहीं रहने पर हल्का या पंचायत सेवक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की जाँच प्रतिवेदन।	02 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ	15 कार्यदिवस	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	15 कार्यदिवस

समूह (क)

क के पहचान हेतु निम्न में से किसी एक की अभिप्रायित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

1. पी.एल. सूची
2. शान कार्ड
3. तदाता पहचान-पत्र
4. तदाता सूची
5. बि कार्ड (भवनरेगा)
6. कलांगता प्रमाण-पत्र
7. सपोर्ट
8. हार्डिंग लाइसेन्स
9. बकर पहचान पत्र (PAN)
10. क केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थायी
11. क के सार्वजनिक विभागों के कर्मियों द्वारा उनके कार्यालयों की जारी
12. क के कर्मियों द्वारा जारी पहचान पत्र।
13. क के कर्मियों द्वारा जारी पहचान पत्र।
14. क के कर्मियों द्वारा जारी पहचान पत्र।
15. क के कर्मियों द्वारा जारी पहचान पत्र।
16. क के कर्मियों द्वारा जारी पहचान पत्र।
17. क के कर्मियों द्वारा जारी पहचान पत्र।
18. क के कर्मियों द्वारा जारी पहचान पत्र।
19. क के कर्मियों द्वारा जारी पहचान पत्र।
20. क के कर्मियों द्वारा जारी पहचान पत्र।

समूह (ख)

सेवा विरोध की प्राप्ति हेतु निम्न में से किसी एक की स्व-अभिप्रायित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

जाति प्रमाण-पत्र

(i) खतिवान की छाया प्रति
(ii) आवेदक या उनके परिवार के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र।

आवासीय प्रमाण-पत्र

(i) अद्यतन राजस्व रसीद की छाया प्रति।
(ii) भूमिहीन को आवंटित भूमि का पर्चा की छाया प्रति।
(iii) राजस्व अभिलेख यथा- खतिवान/ शान-पत्र/ भूमि संबंधी कागजात की छाया प्रति।
(iv) अद्यतन विद्युत बिजली की छाया प्रति
(v) अद्यतन दूरभाष बिजली की छाया प्रति
(vi) आवेदक या उनके परिवार के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र
(vii) अद्यतन रेलवे/रेलवे भूगतान का रसीद

आय प्रमाण-पत्र

(i) अद्यतन वेतन पर्चा की छाया प्रति।
(ii) अद्यतन आयकर भुगतान के सक्षम की छाया प्रति।
(iii) अद्यतन वेतन पर्चा की छाया प्रति।
(iv) आवेदक या उनके परिवार के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र

'तत्काल सेवा' हेतु आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन का जाँच प्रतिवेदन

प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय का नाम:-.....

अधिसूचित सेवा का नाम:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम).....
..... पिता/पति श्री
..... पति/पति श्री
..... द्वारा 'तत्काल सेवा'
..... अंतर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु समर्पित आवेदन-पत्र की जाँच की गयी
पाया गया कि:-

क) आवेदक पिछड़ा/अति पिछड़ा/अनु. जाति/जनजाति वर्ग के अंतर्गत
जाति का सदस्य है।
(ख) आवेदन में वर्णित पते पर आवेदक अर्थात्
स्थायी/अस्थायी रूप से निवास कर रहा है।
(ग) आवेदक की सभी शर्तों से सफलतापूर्वक अभ्यर्णन किया गया है।

अतः आवेदन में वर्णित पते पर आवेदन-पत्र निर्गत करने
का निर्णय किया जाता है।